प्रकाशन अनुदान योजना

प्रकाशन अनुदान योजना शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (एरिक) की योजनाओं में से एक है जिसमें यह शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देती है ताकि निम्नवत् सूचीबद्ध प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उत्कृष्ट पीएच.डी. शोध प्रबंधों, अनुसंधान विनिबंधों और अनुसंधान रिपोर्टों के प्रकाशन हेतु प्रकाशन अनुदान प्रदान किया जा सके। आगामी उपभागों में प्रकाशन अनुदान प्राप्त करने के लिए नियम और प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्र

निम्नवत् क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान प्रस्तावों को एरिक द्वारा आगामी तीन वर्षों में प्राथमिकता दी जाएगी:

1. पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 की पृष्ठभूमि में यह महत्वपूर्ण है कि अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा प्रत्येक पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र का पुन:निरीक्षण किया जाए और विभिन्न विषयों के शिक्षण-अधिगम से संबंधित समस्याओं के उत्तर ढूँढने के लिए गहराई से जांच की जाए। इस संदर्भ में कला, शिल्प एवं सौंदर्यबोध; स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा एवं शांति शिक्षा की स्थिति और भूमिका का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। भारत की भाषाई विविधता के कारण जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है परन्तु इससे अनेक अवसर भी उपलब्ध होते हैं। भाषा शिक्षण का बहुभाषी होना केवल इसलिए ही आवश्यक नहीं है कि बच्चों के समक्ष भाषाओं की संख्या क्या है परन्तु विकसित होती कार्यनीतियों के संबंध में भी आवश्यक है जिसमें बहुभाषी कक्षा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा । इसलिए अनुदेशों के माध्यम के रूप में भाषा से जुड़े मुद्दे और बहुभाषिकता महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विद्यालयी शिक्षा से संबंधित सरोकारों पर तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में अनुसंधान प्रस्तावों का भी स्वागत किया जाएगा।

2. राष्ट्रीय सरोकार

सर्वप्रथम सरोकारों में से एक है विद्यालय में सभी बच्चों का नामांकन और उनकी पढाई जारी रखने को सुनिश्चित करना । प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए प्रतिबद्धता में शिक्षा प्रक्रिया की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विशिष्टताओं में विषमता के साथ विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमियों के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करते हुए सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। इस संदर्भ में, जैण्डर, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म अथवा निशक्तता की असमानताओं के कारण शिक्षा में उत्पन्न असुविधाओं का निराकरण किया जाना आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में सुविधावंचित समूहों की शिक्षा, समावेशी शिक्षा, जैण्डर समानता, ग्रामीण बच्चों की शिक्षा और ग्रामीण विद्यालयों के संचालन से संबंधित अनुसंधान महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यावसायिक शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा दो ऐसे उभरते हुए सरोकार हैं जिन पर सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और शिक्षा-शास्त्रीय दृष्टिकोण से ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। इस संदर्भ में

बच्चों का मानसिक-सामाजिक विकास, जीवन कौशलों के लिए शिक्षा और शिक्षा नीतियाँ तथा विद्यालयी शिक्षा से संबंधित पद्धतियों जैसे अन्य सरोकारों को भी प्राथमिकता मिलेगी।

3. व्यवस्थागत सरोकार

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में प्रस्तुत पाठ्यचर्यात्मक दृष्टि को व्यवस्थागत सुधारों के द्वारा समर्थित किए जाने और बनाए रखने की आवश्यकता है। इनमें से अध्यापकों-सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन दोनों को तैयार करने हेतु व्यवस्था, पाठ्यपुस्तकों एवं अधिगम सामग्री के निर्माण की व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण है। शिक्षा में शिक्षा-शास्त्रीय, प्रशासनिक और निगरानी उपकरण के रूप में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण और संबंधित पद्धतियों को लोकतन्त्र, मानव गरिमा तथा स्वतन्त्रता की सीमाओं के भीतर अधिकतम कार्यकुशल बनाने के लिए विस्तृत अनुसंधान की अपेक्षा है। इस संदर्भ में कक्षागत प्रक्रियाएँ एवं पद्धतियाँ तथा प्रबंधन कार्यनीतियाँ अनुसंधान के अन्य उपयोगी क्षेत्र हैं।

4. शिक्षा-शास्त्रीय पद्धतियाँ और अधिगम प्रक्रियाएँ

पाठ्यचर्या निर्माण और सुधार में हमारा वर्तमान सरोकार इसे बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव बनाना है। शिक्षार्थियों और अधिगम प्रक्रिया के बारे में हम क्या सोचते हैं, इसमें मौलिक परिवर्तन की अपेक्षा है। बाल केन्द्रित अध्यापन के परिवेश के भीतर बच्चों के चिंतन एवं अधिगम प्रक्रियाएँ, शिक्षकों के प्रशिक्षण की शिक्षा-शास्त्रीय प्रक्रियाएं, पाठ्य-विश्लेषण एवं पाठ्य-अधिगम गतिकी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान महत्वपूर्ण हो जाता है।

5. एनसीएफ-2005 के अनुसार उपर्युक्त में शामिल नहीं किया गया कोई अन्य क्षेत्र ।

प्रकाशन अनुदान के नियम

1. लेखक द्वारा अनुसंधान रिपोर्ट/डॉक्टोरल शोध-प्रबंध हेतु प्रकाशन अनुदान के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। साधारणत: पाँच वर्ष से अधिक पुराने अनुसंधान अध्ययन/डाक्टोरल शोध-प्रबंध को अनुदान के लिए स्वीकृत नहीं किया जाता। यदि परीक्षकों /समीक्षकों द्वारा डॉक्टोरल शोध-प्रबंध के पुनरावलोकन की संस्तुति की जाती है तो लेखक को परीक्षकों/समीक्षकों के सुझाव के अनुसार शोध-प्रबंध को संशोधित करना होगा और संशोधित संस्करण को गाइड से विधिवत् प्रमाणित करवाकर परिषद् को प्रस्तुत करना होगा।

2. आवेदन-पत्र में शोध-प्रबंध का पूरा शीर्षक, पर्यवेक्षक का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, (अवार्ड) प्रदान किए जाने का वर्ष, मूल्यांकन रिपोर्टों में सुझाए गए संशोधनों के समावेशन के संबंध में अनुसंधान निर्देशक (गाइड) से प्रमाण पत्र, शोध-प्रबंध/अनुसंधान रिपोर्ट के प्रकाशन हेतु विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र और यदि किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है तो उसका वर्णन किया जाएगा, इसके साथ लगभग 2000 से 3000 शब्दों में शोध-प्रबंध का सार जिसमें शोध-प्रबंध के उद्देश्य, कार्य प्रविधि एवं निष्कर्ष, परीक्षकों के नाम, रिपोर्टों की प्रतिलिपियाँ यदि उपलब्ध हों और शोध-प्रबंध/अनुसंधान रिपोर्ट एरिक की अनुसंधान प्राथमिकताओं से किस प्रकार संबद्ध है, से संबंधित विवरण होने चाहिए।

3. इसके पश्चात् शोध-प्रबंध को एरिक द्वारा किसी विशेषज्ञ से मूल्यांकित करवाया जाएगा और आवेदक को सूचित किया जाएगा कि शोध-प्रबंध प्रकाशन अनुदान हेतु स्वीकार्य है या नहीं। एरिक का निर्णय अंतिम होगा।

4. मूल्यांकनकर्त्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है। मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा शोध-प्रबंध/कार्य के प्रकाशन की सिफारिश किए जाने के मामले में नियमानुसार प्रकाशन अनुदान अनुमोदित किया जाएगा। यदि शोध-प्रबंध/कार्य अपेक्षित मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता तो खेद-पत्र भेजा जाएगा।

5. पीएच.डी. शोध-प्रबंध के अतिरिक्त कार्य का प्रकाशन अनुदान ऐसे अनुसंधानों हेतु दिया जाएगा जो शैक्षिक समस्याओं के समाधान प्रदान करने में सहायक है और नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भी सहायक हैं। उपर्युक्त अनुदानों के लिए वही शर्तें लागू होंगी जो पीएच.डी. शोध-प्रबंध के लिए लागू है।

6. अन्य बातें समान रहते हुए मूलत: व्यापक प्रचार एवं उपयोग हेतु सहायता अनुदान के लिए केवल अंग्रेजी/हिंदी भाषा में लिखित या अन्य भाषा से अंग्रेजी/हिंदी में अनूदित रिपोर्ट/पीएच.डी शोध-प्रबंध पर ही विचार किया जाएगा।

7. जिस संस्थान या छात्र विशेष ने शिक्षा एवं इसके समस्रोतीय क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजना का कार्य पूरा किया है अथवा अनुसंधान मोनोग्राफ लिखा है और जिसका किसी संगठन द्वारा पूर्व में वित्तपोषण नहीं किया गया है, वह इस अध्ययन/वॉल्यूम के प्रकाशन हेतु सहायता अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है।

अनुदान जारी करने हेतु सामान्य शर्तें

1. यह अनुदान तभी स्वीकार्य है जब डॉक्टोरल उपाधि अध्यापक शिक्षा या विद्यालय शिक्षा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में हो और आवेदन की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर प्रदान की गई हो।
2. सहायता अनुदान की कुल धनराशि रू 20,000/- है। अनुमानित खर्च की पचास प्रतिशत धनराशि अधिकतम रू 10,000/- तक की प्रथम किस्त आवेदक द्वारा अनुदान के अनुबंध एवं शर्तें स्वीकार करने पर तथा एरिक का अनुमोदन आवेदक को संप्रेषित किए जाने के उपरान्त जारी की जाएगी। शेष अनुदान रू 10,000/- को आठ मानार्थ प्रतियों और विस्तृत मुद्रक, बिलों की प्राप्ति के उपरान्त जारी किया जाएगा।
3. आवेदक द्वारा शोध-प्रबंध/अनुसंधान रिपोर्ट को अनुदान मंजूरी की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रकाशित किया जाएगा, ऐसा न होने पर अनुदान रदद् माना जाएगा और आवेदक को इस प्रयोजन हेतु भुगतान किए गए अनुदान के अंश को उसके दंड-स्वरूप ब्याज सहित वापिस करना होगा।
4. आवेदक द्वारा प्रकाशित सामग्री की आठ मानार्थ प्रतियाँ रिकॉर्ड एवं संदर्भ हेतु और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों, एनसीईआरटी पुस्तकालय में रखने के लिए एरिक को उपलब्ध करवानी होगी।
5. प्रकाशनाधिकार लेखक के पास रहेगा।
6. अनुदान के लिए आवेदन एरिक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
7. लेखक, प्रकाशक और लेखक/संस्थान के मध्य हुए अंतिम करार की मूलप्रति एनसीईआरटी के शैक्षिक अनुसंधान प्रभाग को प्रस्तुत करेगा।
8. प्रकाशक द्वारा उक्त शोध-प्रबंध/अनुसंधान कार्य के प्रकाशन के लिए एरिक के निम्नवत् दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा । इन्हें प्रकाशन अनुदान के लिए आवेदन में उल्लिखित किया जाएगा।

(क) इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रकाशन डेमी ऑक्टेवो अथवा रॉयल ऑक्टेवो आकार में होना चाहिए ।

(ख) पाठ्य के लिए 10pt. टाइप का प्रयोग किया जाना चाहिए और पाद टिप्पणियों एव संदर्भ के लिए 8/9pt. टाइप का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(ग) पाण्डुलिपि की कम्पोज़िंग करने के लिए डीटीपी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए।

(घ) प्रकाशन का मुद्रण आर्डर जारी करने से पूर्व संपूर्ण पुस्तक का एक प्रूफ लेखक को दिखाया जाएगा। लेखक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी त्रुटियाँ/अशुद्धियाँ ठीक कर दी गई हैं।

(ड) यथासंभव कंप्यूटर जनित उदाहरणों का उपयोग किया जाए। अध्येता इसे डीटीपी फर्म की सहायता से कर सकता है जिसे टंकण कार्य दिया गया हो।

(च) इस पुस्तक का मुद्रण 70 प्रतिशत ब्राइटनेस सहित 70 जीएसएम की उत्तम गुणवत्ता वाले कागज पर किया जाए।

(छ) प्रकाशन के आंतरिक फलक अथवा इसके पीछे निम्नवत् तरीके से एक पेटिका में एनसीईआरटी के प्रति विधिवत् आभार प्रकट किया जाए:

यह पुस्तक शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (एरिक), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली - 110016 द्वारा रू 20,000/- की वित्तीय सहायता से प्रकाशित की गई है।

9. पीएच.डी.शोध-प्रबंध/अनुसंधान कार्य को न्यूनतम 500 प्रतियों में प्रकाशित किया जाएगा।

10. लेखक पुस्तक के मूल्य को कम रखेगा। पुस्तक का मूल्य प्रकाशक द्वारा किए गए निवल निवेश के पाँच गुना से अधिक नहीं होगा। यहाँ पर निवल निवेश का अर्थ है उत्पादन की वास्तविक लागत घटा प्राप्त अनुदान सहायता। लेखक उत्पादन की अनुमानित लागत और नियत किए जाने के लिए प्रस्तावित मूल्य एरिक को प्रस्तुत करेगा और एरिक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा। लेखक का यह कर्त्तव्य होगा कि अध्यक्ष, शैक्षिक अनुसंधान प्रभाग (एरिक) को नियत किए जाने के लिए प्रस्तावित मूल्य के संबंध में पहले लिखकर अनुमोदन प्राप्त करें।

11. लेखक द्वारा उत्पादन के वास्तविक खर्च का लेखा और सहायता अनुदान बिल के उपयोगिता प्रमाणपत्र सहित पुस्तक की आठ नि:शुल्क प्रतियाँ प्रस्तुत करने पर सहायता अनुदान की पूर्ण राशि लेखक को सीधे जारी कर दी जाएगी।

12. लेखक की ओर से आठ मानार्थ प्रतियाँ प्राप्त न होने पर उसे कार्य के प्रकाशन के लिए किए गए भुगतान की राशि को वापिस करना होगा। लेखक को अनुदान की प्राप्ति के समय एक वचन पत्र निम्नवत् रूप में देना होगा;

    अनुदानग्राही द्वारा स्वीकृत आदेश में उल्लिखित अनुबंध एवं शर्तों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर इस योजना हेतु स्वीकृत राशि के चैक/ड्राफ्ट के नकदीकरण की तिथि से उस पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में हर्जाने के साथ संपूर्ण अनुदान राशि को वापिस करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13. परिषद् को ब्याज की गणना के प्रयोजन से तिथि में ढील देने के लिए ऐसे ब्याज को किसी उत्तरवर्ती तिथि से प्रभारित किए जाने का प्रावधान करने का विशेष अधिकार होगा।

14. निम्नवत् बिंदु का विशिष्ट उल्लेख प्रस्तावना से पूर्व किसी सुस्पष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए:

कथित तथ्यों, अभिव्यक्त विचारों अथवा निकाले गए निष्कर्षों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होगी और एरिक, शैक्षिक अनुसंधान प्रभाग, एनसीईआरटी इनके लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगी।

15. स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर कार्य का प्रकाशन किया जाना चाहिए, ऐसा न होने पर सहायता अनुदान के लिए किया गया प्रस्ताव स्वत: रदद् हो जाएगा जब तक कि इसके लिए विशिष्ट अनुरोध पर एरिक द्वारा अवधि न बढ़ा दी गई हो।

16. एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रत्रिकाओं में एरिक द्वारा विचार किए जाने के लिए 2000-3000 शब्दों में शोध-प्रबंध का सार उपलब्ध करवाया जाए।

17. प्रकाशन अनुदान हेतु आवेदन निम्नवत् निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए:-

अध्यक्ष
शैक्षिक अनुसंधान प्रभाग (डी.ई.आर.)
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली - 110016
दूरभाष : 26563980

आवेदन पत्र

1. अध्येता का नाम : .....
   (स्पष्ट अक्षरों में)
2. पत्राचार हेतु पूर्ण पता : .....
   (पिन कोड सहित) .....
   .....
3. डॉक्टोरल शोध-प्रबंध/अनुसंधान : .....
   अध्ययन का शीर्षक .....
   .....
4. अवार्ड (प्राप्ति) का वर्ष : .....
5. विश्वविद्यालय का नाम : .....
6. पर्यवेक्षक का नाम : .....
7. पीएच.डी. उपाधि की : हां ( ) नहीं ( )
   साक्ष्यांकित प्रति संलग्न है ? (कृपया चिन्हित करें)
8. बाहरी परीक्षक (ksa)का नाम :

.....

(1) .....
(2) .....
(3) .....

9. संलग्न दस्तावेज
   (कृपया चिन्हित करें)

(i) मूल्याँकन रिपोर्ट (ksa) की प्रतियाँ संलग्न ( )

(ii) अनुसंधान मार्गदर्शक से इस आशय का प्रमाण पत्र कि मूल्यांकन रिपोर्टों में सुझाए गए संशोधनों को शोध-प्रबंध में समावेशित कर लिया गया है। संलग्न ( )

(iii) शोध प्रबंध/अनुसंधान रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र। संलग्न ( )

(iv) प्रकाशन हेतु अनुमानित व्यय (विवरण संलग्न करें) संलग्न ( )

(v) पीएच.डी शोध-प्रबंध/परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न ( )

(vi) दस्तावेजों की कुल संख्या (पीएच.डी शोध-प्रबंध/परियोजना रिपोर्ट) संलग्न ( )

नोट: कृपया सभी उक्त दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें जिनके बिना एरिक द्वारा आगामी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

9. (a) क्या किसी अन्य स्रोतों से शोध-प्रबंध के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है ? हां ( ) नहीं ( )

(b) यदि हाँ, तो इसका विवरण

.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने प्रकाशन अनुदान के सभी नियमों को पढ़कर समझ लिया है और मैं उनका पालन करूंगा/करूंगी।

.....

तिथि:

हस्ताक्षर.....
स्पष्ट अक्षरों में नाम .....
पत्राचार हेतु पूर्ण पता .....
.....
पिन कोड .....
दूरभाष संख्या.....ई. मेल.....
(कार्यालय).....
(निवास).....